रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112026-277822
CG-DL-E-10112026-277822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5905] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 5905] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2026

का.आ. 6144(अ).— जबकि मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आवेदक ने, जिसका पंजीकृत कार्यालय 3री मंजिल, मेकर चेम्बर्स IV, 222, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400021 पर स्थित है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए ट्रांसमिशन स्कीम, "गुजरात में थोक उपभोक्ता के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 200 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 25-17/71/2026-पावर ग्रिड (एमओपी) दिनांक 19.05.2026 के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए ट्रांसमिशन स्कीम, "गुजरात में थोक उपभोक्ता के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 200 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम" में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था ।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) दिनांक 04.06.2026, राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 04.06.2026 और गुजरात समाचार (गुजराती) दिनांक 04.06.2026 को गुजरात राज्य में और साप्ताहिक राजपत्र में दिनांक 11.07.2026 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ने दिनांकित 16.09.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के अधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दिनांक 16.09.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलिग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

1. आरआईएल (जीआईएस) स्विचयार्ड (ग्राम दहेज, तालुका वागरा, जिला भरूच, गुजरात में स्थित) में मेसर्स टीपीएल (डीजेन टीपीएस) से नवसारी एस/एस 400 केवी डी/सी (ट्रिपल) लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ. [कुल लाइन की लंबाई लगभग 8 किमी है, जिसे डबल-सर्किट (D/c) टावरों पर लगाया जाना है।]

इस योजना के अंतर्गत शामिल ट्रांसमिशन लाइन गुजरात के निम्नांकित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेंगी।

क्र.	गाँव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	दहेज, अंभेटा, जागेश्वर (जगेश्वर), जोलवा, वर्दला (वदडला), सुवा	वागरा	भरूच	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण,ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों / संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक / मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/97/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2026

S.O. 6144(E).— Whereas M/s Reliance Industries Limited having registered office at 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400021, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity of 200 MW to M/s Reliance Industries Limited as Bulk Consumer in Gujarat".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.25-17/71/2026-POWER GRID (MoP) dated 19.05.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, "Transmission system for providing connectivity of 200 MW to M/s Reliance Industries Limited as Bulk Consumer in Gujarat".

M/s Reliance Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers; The Times of India (in English) dated 04.06.2026, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 04.06.2026 and Gujarat Samachar (in Gujarati) dated 04.06.2026 in Gujarat state and in Weekly Gazette of India dated 11.07.2026 for the general public to make observations / representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Reliance Industries Limited has submitted an affidavit dated 16.09.2026 declaring that no observations / representations were received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

M/s Reliance Industries Limited had submitted an Undertaking dated 16.09.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon'ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity of 200 MW to M/s Reliance Industries Limited as Bulk Consumer in Gujarat" to M/s Reliance Industries Limited. The following overhead line is covered under this scheme:

1. LILO of one circuit of M/s TPL (DGEN TPS) - Navsari S/s 400 kV D/c (triple) line at RIL (GIS) Switchyard (located in Village Dahej, Taluka Vagra, District Bharuch, Gujarat) [The total line length is 8 kms. (approx.) to be implemented on D/c towers].

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns and cities of Gujarat State:

Sr. No.	Name of the Villages	Tehsil	District	State
1.	Dahej, Āmbheta (Ambheta), Jāgeshwar (Jageshwar), Jolwa (Jolva), Wardla (Vadadla), Suwa (Suva)	Vagra	Bharuch	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Reliance Industries Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Reliance Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F.No.25-16/97/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
BHABAJIT DEKA